रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19122025-268643
CG-MH-E-19122025-268643

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 815]	नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2025/अग्रहायण 25, 1947
No. 815]	NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2025/AGRAHAYANA 25, 1947

रेलवे मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना (शुद्धी पत्रक)

मुंबई, 12 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 901(अ).—रेलवे अधिनियम 1989 (1989का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तीयों का प्रयोग करते हुए (इसे उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश के लिए भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, निष्पादन के लिए आवश्यक है। महाराष्ट्र राज्य के मुंबई उपनगर जिले में गोरेगांव से बोरीवली तक हार्बर लाइन का विस्तार (लगभग 7.08 किलोमीटर) (एमयूटीपी-३ए) का अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन इसके द्वारा ऐसी भूमि के अधिग्रहण की अपनी मंशा की घोषणा करता है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ती, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 डी की उप-धारा के (1) के तहत पूर्वोक्त उद्देश के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी और प्रांत अधिकारी, गोरेगांव से बोरीवली जिला मुंबई उपनगर, महाराष्ट्र, पिनकोड 400091को निचित रुप में की जाएगी और उसके आधार निर्धारित करेगी, और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तीगत रुप से वा कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा आवश्यक समझता है या तो आपत्तियों को अनुमती देता है या अस्वीकार करता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20 डी उप धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के तहत कवर की गई भूमि की भूमि योजनांए और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में इच्छुक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मुंबई सेंट्रल डिवीजन प्रोजेक्ट)पश्चिम रेलवे (में गोरेगांव से बोरीवली)लगभग 7.08 किमी (तक हार्बर लाइन के विस्तार, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है।

यह भूमि का संक्षिप्त विवरण है, जिसे विशेष रेलवे परियोजना- हार्बर लाइन के विस्तार गोरेगांव से बोरीवली)लगभग 7.08 किमी (तक के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन हेतु अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित है ।यह अधिग्रहण महाराष्ट्र राज्य के मुंबई उपनगर जिले में स्थित मुंबई सेंट्रल डिवीज़न)पश्चिम रेलवे(परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है ,जो गजट अधिसूचना दिनांक 06.02.2025 के पूरक के रूप में है ।

क्रम संख्या	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1)	बोरीवली	पोईसर	343	294.40
			कुलक्षेत्र	294.40

[फा. सं. इ-364842-04]

मुकेश कुमार, मुख्य इंजीनियर (निर्माण)-।

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION (CORRIGENDUM)

Mumbai, the 12th December, 2025

G.S.R. 901(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act).The Central Government, after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Extension of Harbor Line from Goregaon to Borivali (7.08 Km Approximately) (MUTP-3A) Project in the District of Mumbai Suburban in the State of Maharashtra hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under subsection (1) of section 200 of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Special Land Acquisition Officer, Mumbai Western Suburban, Dist. Mumbai Suburban, Maharashtra, Pin code-400091 in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired, with or without structures, for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Extension of Harbour Line from Goregaon to Borivali (7.08 Km Approximately) in Mumbai Central Division Project (Western Railway) in the Mumbai Suburban District in the State of Maharashtra as supplement to the Gazette notification dated 06.02.2025.

Name of District: - Mumbai Suburban

Serial Number	Name of Taluka	Name of the Village	City Survey Number	Area in square meters
1)	Borivali	Poisar	343	294.40
			Total Area	294.40

[F. No. E-364842-04]

MUKESH KUMAR, Chief Engineer(Cons.)-I

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.12.19 15:06:55 +05'30'